



अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 45 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके पर लगभग 1250 लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री एवं परिवहन करने वाले अभियुक्तगणों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 07-11-2021 को थाना देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कैंचौवाली के जंगल में अवैध शराब की भट्टी लगाकर शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र छोटे नि0 ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जिला बिजनौर को मौके से शराब का निष्कर्षण करते हुए मय शराब बनाने के उपकरणों एवं अवैध शराब खाम सहित समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। मौके पर करीब 1250 ली0 लाहन नष्ट किया गया तथा शराब बनाने के उपकरण व कुल 45 ली0 कच्ची शराब खाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 334/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

राजेन्द्र पुत्र छोटे नि0 ग्राम ढकिया थाना नगीना देहात जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1. एक (50 ली0) प्लास्टिक की जरीकैन रंग काला जिसमें करीब 40 लीटर कच्ची शराब खाम
2. एक प्लास्टिक जरीकैन रंग सफेद जिसमें करीब 05 लीटर कच्ची शराब खाम
3. दो बाल्टी प्लास्टिक पेन्ट वाली 10-10 ली0
4. एक पतीली सिलवर
5. एक कनस्तर
6. एक प्लेट लोहा
7. एक प्लास्टिक पाइप
8. एक टार्च आदि।

आपराधिक इतिहास राजेन्द्र उपरोक्त

मु0अ0सं0 334/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1- थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार
- 2- उ0नि0 श्री नीरज कुमार
- 3- का0 1560 महीपाल सिंह
- 4- का0 211 अमित कुमार
- 5- का0 1384 अमित कुमार



थाना धामपुर- आज दिनांक 08.11.2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शहीद उर्फ लाला पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला पक्का बाग थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना शेरकोट- आज दिनांक 08.11.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मानसिंह पुत्र गरीबा सिंह निवासी वाजिदपुर थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नहतौर- आज दिनांक 08.11.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभिगण 1-फिरोज पुत्र मौ० उमर 2-शरफराज पुत्र मौ० उमर निवासीगण ग्राम समसपुर हुसैनपुर थाना नहतौर 3-भुरे पुत्र हेतराम सिंह नि० ग्राम सेट्टी थाना धामपुर सम्बन्धित 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना चांदपुर- आज दिनांक 08.11.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र शाहिद हसन निवासी मोहल्ला सराय रफी थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना धामपुर- आज दिनांक 08.11.2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मिर्जापुर पल्ला वाला थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम छोटी बनी में गांव में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना बढापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चमरौला में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

